



कृषि अवसंरचना निधि के तहत वित्तपोषण सुविधा की केंद्रीय क्षेत्र योजना के लिए

योजना दिशा-निर्देश

□□□□□□□ □□□□□ □□□□-□□□□□□□
□□□□□ 2021

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

तालिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ
1	परिचय	3
2	योजना का औचित्य	4
3	योजना के उद्देश्य	4-6
4	योजना का कार्यान्वयन काल	7
5.	सरकारी बजट सहायता	7-8
6.	पात्र परियोजनाएँ	8-9
7.	वित्तपोषण सुविधा और पात्र लाभार्थियों का आकार	9
8	□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□	9
9	भाग लेने वाली संस्थाएँ	9
10	पुनर्वित्त	10
11	उधार दर की ऊपरी सीमा	10
12	परियोजना प्रबंधन और हैंडहोलिंग समर्थन	10
13	अभिसरण	11
14	योजना का पुनरीक्षण	11
15	निगरानी की रूपरेखा	11
16	आउटपुट और परिणाम निगरानी फ्रेमवर्क (ओओएमएफ)	11
17	पीएफएमएस के साथ संबंध	12
18	पात्र उधारकर्ता के चयन के लिए मानदंड	12
19	वीजीएफ की आवश्यकता	12
20	सेक्टर विशिष्ट फोकस	12
21	राज्य विशिष्ट फोकस	12

**'कृषि अवसररचना निधि' के तहत वित्तपोषण सुविधा के केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के लिए
योजना के दिशा-निर्देश**

1. परिचय

[illegible]

00000000 00 00000000, 000000 00000 000000 00
 000000 15.05.2020 00 00000000 00 000 00000-000 00000000
 000000000 0000 1 000 00000 0000 00 0000 000000000 0000
 00 00000 000 00000-000 000 00000 00000000 (000000000
 0000 000000 000000000, 00000 00000000 00000, 0000
 000000, 00000000-00 000) 00 0000 000000000 00000000000
 00 00000000000 00 000 1,00,000 00000 00000 00 00000000
 0000000 0000000 00 00000000 00000-000 00 00000 00000000
 00 000 00000 00 00000000 000 00 0000000000 0000000000
 000000000 00000000 00 00000 00 000 000000000000000000
 000

0000000, 000000000000000000 00 0000000000 00
 0000000 000000 00 000000 00 0000000000 0000000
 00000000 00 0000000000 0000 00 000000000000000 00
 0000000 0000000000 0000000000 000 00000 00 000
 00000-0000000000 00 000000 00 000000 0000 00 000
 000000000 00000000 00000 00000 00 000

□□□ □□□, 01.02.2021 □□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□, □□
□□□□□ □□ □□□ कृषि उपज बाजार समिति □□ □□□□□□□□ □□□□ □□
□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□, □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□

□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□
□□□

2 □□□□□ □□ □□□□□□□

कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ भारत की कुल जनसंख्या के ~58% के लिए आय का प्राथमिक स्रोत हैं। ~85% किसान छोटी जोत वाले (एसएचएफ) हैं जिनके पास खेती के तहत 2 हेक्टेयर से कम भूमि है और ~45% कृषि भूमि का प्रबंधन करते हैं। इसके अलावा भारत में किसानों को मंडी से जोड़ने के लिए सीमित बुनियादी ढांचा है और इसलिए 15-20% उपज बर्बाद हो जाती है जो कि अन्य देशों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है जहां यह 5-15% के बीच है। भारत में कृषि में निवेश पिछले 5 वर्षों में 2% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से कम पर स्थिर रहा है। वित्तीय वर्ष 2017 में निवेश ~2.19 लाख करोड़ रुपये था जिसमें निजी क्षेत्र का हिस्सा ~83% था, वित्त वर्ष 2014 में ~ 2.50 लाख करोड़ रुपये उच्च निवेश और निजी क्षेत्र का उच्च शेयर ~ 88% था। इसके अलावा निवेशकों के आत्मविश्वास की कमी के कारण हल अनुपात (वित्त वर्ष 2018 में सकल मूल्यवर्धन का ~14%) बनाम अन्य क्षेत्र (वित्त वर्ष 2018 में सकल मूल्य संवर्धन का ~33%) से कम है।

3 योजना का उद्देश्य

□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□
□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□
□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□ □□ □□□□□-
□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□
□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□
□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□

क. □□□□□ (□□□□□, □□□□□, □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□, □□□□□ □□□□□□□□□, □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□□□ □□□ □□□□□

□□□□□□ □□□□□□, □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
 □□□□□□ (□□□□□□□□) □□□□ □□□□□□)

- किसानों को सीधे उपभोक्ताओं की एक बड़ी संख्या तक अपने उत्पाद बेचने की अनुमति देने के लिए विपणन अवसंरचना में सुधार और इस प्रकार किसानों के मूल्य प्राप्ति में वृद्धि होगी। इससे किसानों की समग्र आय में सुधार होगा।
- लॉजिस्टिक्स अवसंरचना में निवेश के साथ, किसान फसलोपरांत हानियों को कम करने में समर्थ होंगे और बिचौलियों की संख्या में कमी आएगी। यह आगे किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगा और उनकी बाजार तक पहुंच में सुधार करेगा।
- आधुनिक पैकेजिंग और शीत भंडारण प्रणाली के पहुंच के साथ, किसान आगे यह तय करने में सक्षम होंगे कि बाजार में अपने उत्पाद को कब बेचा जाए और इससे उनकी आय में सुधार होगा।
- बेहतर उत्पादकता और आदानों के अनुकूलन के लिए सामुदायिक खेती की परिसंपत्ति के परिणामस्वरूप किसानों को काफी बचत होगी।

ख. सरकार

- सरकार ब्याज छूट, प्रोत्साहन और ऋण गारंटी के माध्यम से सहायता करते हुए वर्तमान में गैर-महत्वपूर्ण परियोजनाओं में प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देने में सक्षम होंगी। यह कृषि में नवाचार और निजी क्षेत्र के निवेश के चक्र की शुरुआत करेगा।
- फसलोपरांत अवसंरचना में सुधार के कारण, सरकार आगे राष्ट्रीय खाद्य अपव्यय प्रतिशत को कम करने में सक्षम होगी जिससे कृषि क्षेत्र वर्तमान वैश्विक स्तरों के साथ प्रतिस्पर्धी बनने में सक्षम होगा।
- केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियां या स्थानीय निकाय कृषि अवसंरचना में निवेश को आकर्षित करने के लिए व्यवहार्य पीपीपी परियोजनाओं को बनाने में सक्षम होंगे।

ग. कृषि उद्यमी और स्टार्टअप

- □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□, □□□□□□□□ □□□□□□, □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□

— 00 000000000000 00000 000 000000000000 00 00
0000000 00: 000000000 000 00000000 00 000 000000
00 0000 000000 0000 000000 00000000

— 00 000000 00 000 0000000000 0000 00 00000 000
0000 0000 00000000 00 00000 00 000 00000 00
00000000 00 000000 00000 0000000000 00000 00
00000000000000 00 00000000000 00 0000000 000 0000000
0000000

— 0000:000000 00000000 00000000 00000000 000 00000000 00
0000 00000 00000000 0000000000

[illegible]

यह योजना वर्ष 2020-21 से 2032-33 तक प्रचालन में होगी। इस अवधि में कुल 100 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इस निवेश का 20% (20 करोड़ रुपये) 2020-21 में किया जाएगा, जबकि शेष 80 करोड़ रुपये 2021-22 से 2032-33 तक वार्षिक रूप से 16,000 करोड़ रुपये की दर से 2022-23 से 2025-26 तक 20,000 करोड़ रुपये की दर से 2026-27 से 2032-33 तक 25,000 करोड़ रुपये की दर से किया जाएगा। इस वित्तीय सुविधा के तहत पुनर्भुगतान के लिए 2 करोड़ रुपये का ऋण स्थगन किया जाएगा।

6

बजटीय सहायता पीएमयू की प्रशासनिक लागत के साथ ब्याज छूट एवं ऋण गारंटी के लिए प्रदान की जाएगी। विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	संघटक का नाम	मानदंड
1.	ब्याज छूट लागत	वित्तपोषण सुविधा के तहत 2 करोड़ रुपए की सीमा तक सभी ऋण 3% प्रतिवर्ष की ब्याज छूट पर होगी। यह छूट अधिकतम 7 वर्षों की अवधि के लिए होगा। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा ऋण के मामले में तब ब्याज छूट 2 करोड़ रुपए तक सीमित होगी। कुल वित्तपोषण सुविधा से निजी उद्यमियों के लिए निधिकरण की सीमा एवं प्रतिशत राष्ट्रीय निगरानी समिति द्वारा निर्धारित की जा सकती है।
2.	ऋण गारंटी लागत	2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम योजना हेतु ऋण गारंटी निधि □□□□□ (सीजीटीएमएसई) के तहत इस वित्तपोषण सुविधा से पात्र उधारकर्ताओं के लिए ऋण गारंटी कवरेज उपलब्ध होगा। इस कवरेज के लिए शुल्क सरकार द्वारा अदा किया जाएगा। एफपीओ के मामले में ऋण गारंटी डीएसीएंडएफडब्ल्यू के संवर्धन योजना एफपीओ के तहत सृजित सुविधा से प्राप्त की जा सकती है।
3.	पीएमयू की प्रशासन लागत	डीएसीएंडएफडब्ल्यू के तहत किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति योजना को केंद्रीय स्तर तथा राज्य स्तर पर पीएम-किसान की राज्य पीएमयू को पीएमयू सहायता प्रदान करेगी। ज्ञान भागीदारों की सेवाएं लक्ष्य परियोजनाओं के लिए निर्यात क्लस्टरों तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं में अंतराल सहित क्लस्टरों की पहचान करने के लिए लगाई जाएंगी तथा लाभार्थियों की सहायता करने के लिए व्यवहार्य परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएंगी।

6. पात्र परियोजनाएं

यह योजना मूल्य श्रृंखला की स्थापना तथा प्रमुख तत्वों के आधुनिकीकरण की सुविधा प्रदान करेगी। जिसमें शामिल है:

(क) फसलोपरांत प्रबंधन परियोजनाएं जैसे:

- ई-विपणन प्लेटफॉर्म सहित आपूर्ति श्रृंखला सेवाएं
- वेयरहाउस
- सिलोस
- पैक हाउस
- जांच इकाइयाँ
- छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयाँ
- शीत श्रृंखला

परियोजनाएं योजना के तहत ₹ 2 करोड़ तक के ऋण के लिए पात्र होंगी। हालांकि, निजी क्षेत्र की इकाई, जैसे कि किसान, कृषि उद्यमी, स्टार्ट-अप के लिए ऐसी अधिकतम 25 परियोजनाओं की सीमा होगी। 25 परियोजनाओं की यह सीमा राज्य एजेंसियों, सहकारी समितियों के राष्ट्रीय और राज्य संघों, एफपीओ संघों और स्वयं सहायता समूहों के संघों पर लागू नहीं होगी। लोकेशन का □□□□ एक अलग □□□□□□ (स्थानीय सरकार नि□□शिका) कोड वाले गाँव या कस्बे की भौतिक सीमा से होगा। ऐसी प्रत्येक परियोजना एक अलग एलजीडी (स्थानीय सरकार नि□□शिका) कोड वाले स्थान पर होनी चाहिए।

एपीएमसी अपने निर्धारित विपणन क्षेत्र के भीतर बहु-परियोजनाओं (विभिन्न □□□□□□□□ प्रकार) के लिए पात्र होंगी । ऐसे मामलों में, विभिन्न अवसंरचना प्रकारों □□□□□□ एपीएमसी के निर्धारित विपणन क्षेत्र के भीतर कोल्ड स्टोरेज, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और परख इकाइयाँ, साइलो □□□ की प्रत्येक परियोजना के लिए ₹ 2 करोड़ तक के ऋण के लिए ब्याज सबवेंशन प्रदान किया जाएगा। ।

9. भागीदारी करने वाली संस्थाएं

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) /डीएसीएंडएफडब्ल्यू के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), लघु वित्तीय बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) इस वित्तीय सहायता को प्रदान करने में सहभागी बन सकते हैं।

10. पुनः वित्तपोषण

यदि अपेक्षित हो, नाबार्ड सहकारी बैंकों एवं आरआरबी सहित ऋण देने वाली सभी पात्र संस्थाओं को आवश्यकता के आधार पर पुनः वित्तपोषण की सहायता प्रदान करेगा।

11. उधार दर पर ऊपरी सीमा लगाना

उधार देने वाली संस्थाओं के साथ उचित परामर्श करके ऋण देने वाली भागीदार संस्थाओं के लिए उधार दर निर्धारित की जाएगी और इसे सभी हितधारकों के लिए परिचालित किया जाएगा। उधार देने वाली संस्थाएं स्कीम के कार्यान्वयन हेतु डीएसीएंडएफडब्ल्यू/नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगी। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के साथ डीएसीएंडएफडब्ल्यू/नाबार्ड द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर इस उद्देश्य से किया जाएगा कि नाबार्ड उचित रीति से उधार दर पर ऊपरी सीमा लगाने पर चर्चा करेगा।

12. परियोजना प्रबंधन एवं हैंडहोलडिंग सहायता

सूचना एवं ऋण-संस्वीकृति की सुविधा प्रदान करने के लिए उधार देने वाली भागीदार संस्थाओं के समन्वय से एक ऑनलाइन प्लेटफार्म तैयार किया जाएगा। कृषि अवसंरचना निधि का प्रबंधन और निगरानी ऑनलाइन एमआईएस प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी। यह सभी अर्हक संस्थाओं को निधि के अंतर्गत ऋण के लिए आवेदन देने में सक्षम बनाएगा। इस तंत्र से

विभिन्न बैंकों द्वारा प्रस्तावित ब्याज दरों की पारदर्शिता, ब्याज छूट सहित स्कीम का विवरण तथा प्रस्तावित ऋण गारंटी, न्यूनतम दस्तावेजीकरण, शीघ्र अनुमोदन प्रक्रिया के साथ अन्य स्कीमों के लाभों का समेकन जैसे लाभ भी प्राप्त होंगे। पार्श्वत पर, यह प्लेटफार्म कुल संस्वीकृत राशि तथा उधारकर्ताओं की संख्या, उपभुक्त कुल ब्याज छूट का लाभ, ऋण विवरण का सारांश, उधार लेने वाले एवं परियोजनाओं के प्रकार का □□□□□□□□ व भौगोलिक मिश्रण की निगरानी के लिए जिला; राज्य एवं राष्ट्र स्तरीय पीएमयू डैशबोर्ड के विभिन्न दृष्टिकोण भी प्रदान करेगा।

डीएसीएंडएफडब्ल्यू के अंतर्गत किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति केन्द्र स्तर पर स्कीम के लिए पीएमयू सहायता प्रदान करेगी और राज्य पीएमयू राज्य स्तर पर पीएम-किसान के लिए सहायता प्रदान करेगी। परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निर्यात कलस्टर्स सहित कलस्टर्स तथा आपूर्ति श्रृंखला में कमी की पहचान करने और लाभार्थियों के सहयोग हेतु व्यवहार्य परियोजनाएं तैयार करने जानकारी सहयोगियों की सेवाएं ली जाएंगी।

केन्द्र एवं राज्य पीएमयू द्वारा लाभार्थियों एवं उधार देने वाली संस्थाओं के मार्गदर्शन हेतु निर्देशित इकाई लागतों के साथ परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएंगी। ऐसी परियोजना रिपोर्ट ऑनलाइन प्लेटफार्म पर उपलब्ध होगी।

13. अभिसरण -

केन्द्र/राज्य सरकार के किसी वर्तमान अथवा भविष्य की स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध किसी अनुदान अथवा राजसहायता का लाभ इस वित्त पोषण सुविधा के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए लिया जा सकता है। पूंजीगत राजसहायता के मामले में, ऐसी धनराशि को प्रमोटर का अंशदान माना जाएगा। हालांकि परियोजना लागत की न्यूनतम 10% राशि प्रमोटर के अंशदान के लिए अनिवार्य होगी।

14. स्कीम में संशोधन

व्यय विभाग द्वारा 20,000 करोड़ रूपय का वितरण हो जाने के पश्चात स्कीम का पुनरीक्षण मूल्यांकन एवं मध्यावधि संशोधन हेतु यदि अपेक्षित हो, किया जाएगा। इंड-लाइन मूल्यांकन के अतिरिक्त स्कीम का तृतीय पक्ष द्वारा समवर्ती/मध्यावधि स्वतंत्र मूल्यांकन, जब कभी भी अपेक्षित हो, किया जाएगा।

15. निगरानी की रूपरेखा

राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय निगरानी समितियां होंगी जो प्रस्तावित स्कीम के कार्यान्वयन का वास्तविक समय प्रबोधन करने के साथ ही प्रभावी फीडबैक सुनिश्चित कराएंगी। इन समितियों का गठन **अनुबंध-□** के अनुसार किया जाएगा।

इस निधियन सुविधा के अंतर्गत सृजित सभी परिसंपत्तियों पर जियो टैगिंग की जाएगी। जिला □□□□□□ समिति और संबंधित ऋणदाता संस्थान यह सुनिश्चित करेंगी कि ऐसे जियो टैगिंग की गई परिसंपत्तियों संबंधी अद्यतित सूचना ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध हो।

16. आउटपुट और आउटकम निगरानी की रूपरेखा (ओओएमएफ)

आउटपुट और आउटकम प्रबोधन ढांचा (ओओएमएफ) (अनुबंध-□) □□□□□□□
प्रणाली का हिस्सा होगा और आउटकम आकलन संकेतकों का आवधिक आधार पर
डीएलएमसी, एसएलएमसी और एनएलएमसी द्वारा प्रबोधन किया जाएगा।

17. पीएफएमएस के साथ लिंकेजेज

ब्याज रियायत और ऋण गारंटी सहयोग पीएफएमएस के माध्यम से बैंकों और
ऋणदाता संस्थाओं को जारी किया जाएगा।

इस स्कीम के तहत लाभग्राहियों को ऋणदाता संस्थाओं द्वारा निधियों का संवितरण
आधार से जुड़े बैंक खाते में किया जाएगा।

18. पात्र ऋणग्राहकों के च□□ संबंधी मानदंड

ऋणदाता संस्थाएं नाबार्ड और □□□□□□□ समितियों, पीएमयू के साथ परामर्श करके
और परियोजनाओं की अर्थक्षमता को ध्यान में रखकर और एनपीए से बचाव करते हुए पात्र
ऋणग्राहकों के चयन संबंधी मानदंडों का निर्णय करेंगी।

19. वीजीएफ अपेक्षा

यदि केंद्रीय/राज्य/स्थानीय निकायों द्वारा वीजीएफ अपेक्षा को दर्शाया जाता है तो
पीपीपी के लिए डीईए द्वारा विनिर्धारित मानदंडों का पालन किया जाएगा।

20. क्षेत्र विशिष्ट फोकस

स्कीम के अंतर्गत कुल सहायता अनुदान का 24 प्रतिशत अजा./अ.ज.जा उद्यमियों
के लिए उपयोग किया जाएगा (अजा. के लिए 16 प्रतिशत और अ.ज.जा. के लिए 8
प्रतिशत)। इसके अतिरिक्त ऋणदाता संस्थाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि महिलाओं और समाज के
अन्य कमजोर वर्गों के उद्यमियों का पर्याप्त कवरेज हो जिन्हें प्राथमिकात के आधार पर ऋण
प्रदान किया जाए ताकि स्कीम के कार्यान्वयन का लाभ समावेशी सुनिश्चित हो और सरकार के
दिशा-निर्देश□□□ एवं नीतियों के अनुसार वांछित लाभग्राहियों को मिल सके।

21. राज्य विशिष्ट फोकस

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के आउटपुट के कुल मूल्य के
अनुपात के आधार पर निधियन सुविधा के अनंतिम राज्य-वार आवंटन तैयार किए गए हैं और
अनुबंध-□ पर रखे गए हैं।

□□□□□□-□

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□

□□□.□□.	□□□□□	□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□	□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□
1	□□□□ (□□□□□, □□□ □□□)	• □□□□ • □□□□□ □□□ □□□□□□□ • □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ • □□□□□ • □□□□□□ • □□□□□□□□ • □□□□□□□□□□ • □□□□□□□□ • □□□□□□□□□□ • □□□□□□ • □□□□□□ • □□□□ • □□□□□□□□□	• □□□□□□ • □□□□□□ • □□□□□ • □□□□□□□□ • □□□□□□□ • □□□□□□□□ • □□□□□□□□□ • □□□□□□□□

□□□.□□.	□□□□□	□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□	□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□
2	□□ □□□ □□□□□□□□	• □□□□□ • □□□□ • □□□□□□ • □□□□□□□□ • □□□□□□□□ • □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ • □□□□□□□□ • □□□□□□□□ • □□□□□□□□□	• □□□□□□□□□□ • □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ • □□□□□□□□□□□ • □□ □□□□□□□□ • □□ : □□□□□□□□□□□□
3	□□□□□	• □□□□□ • □□□□□ □□□ □□□□□□□□ • □□□□ □□□□□□□□ (□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□) • □□□□□□□□ • □□□ □□□□□□□□□□ (□□□□□, □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□)	• □□-□□□□□□□□ □□□□□□ • □□□□□□□□□□ • □□□□□□□□□□□□□□□□ • □□□□□□□□□□
4	□□□□□	• □□□□□ • □□□□□ □□□ □□□□□□□□ • □□□□□□□□ • □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ • □□□□ □□□□□□□□ • □□□□□□□□□□□□ • □□-□□□□□□ • □□□□□□□□ • □□□□□□□□□□□□	• □□□□□□□□□□□□ • □□□□□ • □□□□□□ • □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ • □□□□ □□□□□□□□ □□□ • □□□□□□ □□ □□□□□□
5	□□□□□	• □□□□□ • □□□□□□□□ • □□□□□□□□ • □□□□□□□□□□ □□□	• □□□□□□ □□□□□□□□□□ • □□□□□□□□□□□□ • □□□□□□□□□□□□□□ • □□□□□

□□□.□□.	□□□□□	□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□	□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□
		□□□□ □□□□□ □□□□□□□□	□□□□□
6	□□□□□	□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□	
7	□□□□□	□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□	□□□□□□□□ □□:□□□□□□□□ □□□ □□□□□
8	□□□□□	□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
9	□□□□□	□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□	□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

□□□.□□.	□□□□	□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□	□□□□ □□ □□ □□□□ □□□
		□□□□□□	
10	□□□	□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□	
11	□□□□	□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□	
12	□□□□□□	□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□	
13	□□□	□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□	
14	□□□	□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□	
15	□□□□ □□ □□□□□□□□□	□□□□ □□□□□□□□	□□□□ □□□□□□□

□□□.□□.	□□□□	□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□	□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□
	□□□□	• □□□□□	□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□

निगरानी तंत्र

(i) राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति (एनएलएमसी)

संघटन:-

निम्नलिखित एनएलएमसी के सदस्य और अध्यक्ष होंगे:-

- क. सचिव (डीएसीएण्डएफडब्ल्यू) (अध्यक्ष)
- ख. एमडी एसएफएसी
- ग. एमडी एनसीडीसी
- घ. विशेष सचिव/अपर सचिव और एफए (डीएसीएण्डएफडब्ल्यू)
- ङ. अपर सचिव डीएफसी
- च. अपर सचिव (डीएसीएण्डएफडब्ल्यू, भारत सरकार)
- छ. अध्यक्ष, नाबार्ड या उनके प्रतिनिधि
- ज. प्रधान सचिव-राज्य सरकार के- रोटेशन द्वारा चार राज्य
- झ. चार राज्यों के राज्य नोडल अधिकारी (रोटेशन द्वारा)
- ञ. संयुक्त सचिव (डीएसीएण्डएफडब्ल्यू) और किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन सोसायटी के सीईओ- सदस्य सचिव

प्रकार्य:

1. □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□ (□□□□□□□□)
□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□
□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□
□□□□-□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□
2. □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ (□□□□□□□□)
□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□
□□□□-□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□
□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ (□□□□□□□□) □□□□□□ □□□□□□□□
□□□□-□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□

(ii) राज्य स्तरीय निगरानी समिति

□□□□□□ :

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□
□□□□□□ :

- क. मुख्य सचिव-अध्यक्ष
- ख. कृषि उत्पादन आयुक्त/ प्रधान सचिव, कृषि
- ग. प्रधान सचिव (सहकारिता)

अनुबंध-□

ओओएमएफ ढांचा

आउटपुट:

आउटपुट विवरण	आउटपुट संकेतक	लक्ष्य	उपलब्धि
कृषि मूलभूत संरचना के सृजन और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना	पात्र संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं की संख्या		
	पात्र परियोजनाओं के लिए निधि का वितरण (करोड़ ₹.)		

ब्याज रियायत की राशि में वृद्धि और प्रदान किया गया ऋण गारंटी सहयोग	ब्याज रियायत के लिए खर्च की गई राशि (करोड़ ₹.)		
	ब्याज रियायत पाने वाली परियोजनाओं की संख्या		
	ब्याज रियायत पाने वाली परियोजनाओं का प्रतिशत (स्कीम के तहत ऋण प्रस्तावित कुल योजना)		
	ऋण गारंटी कवरेज पर खर्च धनराशि (करोड़ ₹.)		
	स्कीम के तहत दिए गए कुल ऋण का ऋण गारंटी कवरेज औसत प्रतिशत		

आउटकम:

आउट□□ विवरण	आउट□□ संकेतक	लक्ष्य	उपलब्धि
कृषि मूलभूत अवसंरचना के लिए संसाधन प्रावधान में निवेश	पूर्ण की गई परियोजनाओं के लिए उपयोग की गई निधि का प्रतिशत		
	कृषि मूलभूत अवसंरचना निधि निवेशों के माध्यम से प्राप्त अतिरिक्त निवेश (करोड़ ₹.)		
कृषि मूलभूत अवसंरचना क्षमता में बढ़ोतरी	वित्तपोषित मूलभूत अवसंरचना कार्याकलापों के कारण कृषि क्षेत्रों में कुल क्षमता संवर्धन (एमटी)		
	फसलोपरांत हानियों और खाद्य		

	पदार्थों की बरबादी में कमी (%)		
--	--------------------------------	--	--

अनुबंध-□

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच वित्तीय सुविधा का अनंतिम आवंटन

क्र.सं.	राज्य	वित्तीय सुविधा की राशि करोड़ में
1	उत्तर प्रदेश	12831
2	राजस्थान	9015
3	महाराष्ट्र	8460
4	मध्य प्रदेश	7440
5	गुजरात	7282
6	पश्चिम बंगाल	7260
7	आंध्र प्रदेश	6540
8	तमिलनाडु	5990

9	पंजाब	4713
10	कर्नाटक	4525
11	बिहार	3980
12	हरियाणा	3900
13	तेलंगाना	3075
14	केरल	2520
15	ओडिशा	2500
16	असम	2050
17	छत्तीसगढ़	1990
18	झारखंड	1445
19	हिमाचल प्रदेश	925
20	जम्मू और कश्मीर और लद्दाख	900
21	उत्तराखंड	785
22	त्रिपुरा	360
23	अरुणाचल प्रदेश	290
24	नागालैंड	230
25	मणिपुर	200
26	मिजोरम	196
27	मेघालय	190
28	गोवा	110
29	दिल्ली	102
30	सिक्किम	56
31	पुडुचेरी	48
32	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	40
33	दमन और दीव	22
34	लक्षद्वीप	11

35	दादरा और नगर हवेली	10
36	चंडीगढ़	9
	कुल	1,00,000